न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/183

1. रामनाथ पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
2. रामनारायण पुत्र श्री धन्नालाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा ।
3. नन्दलाल पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा ।
4. नर्बदा बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी ओम प्रकाश गौतम निवासी ई– 264, आर.के. पुरम, कोटा ।
5. गीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी श्री जितेन्द्र गौतम निवासी रामा हलवाई की ब्रह्मपुरी बून्दी ।
6. सीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी हरिमोहन शर्मा निवासी गुजराती मौहल्ला कशोपुरा, कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. गजानन्द पुत्र श्री मथुरा लाल ब्राह्मण मृतक जरिये कायममुकाम –
   1/1. श्रीमती रामभरोस पुत्री गजानन्द पत्नी श्री सतेन्द्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 04 मोती नगर विस्तार थेकडा रोड, बोरखेडा कोटा ।
   1/2. श्रीमती मूर्ति पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री सतीश गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1070, श्रीनाथपुरम् –बी, कोटा ।
   1/3. श्रीमती संतोष पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री अन्नू गौतम जाति ब्राह्मण निवासी सरस डेयरी के सामने पहली गली, शिवपुरा ।
   1/4. शशि पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री योगेन्द्र गौतम (मृतक) जरिये का0मु0 –
   1/4/1. जितेन्द्र पुत्र श्री योगेन्द्र गौतम
   1/4/2. अरूणा पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम
   1/4/3. रानू पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम निवासीगण मकान नम्बर – 71 महावीर नगर थाने के पास, रंग बिहार कोटा ।
   1/5. आनन्द गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।
   1/6. अशोक कुमार गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।
2. श्रीमती चन्दा बाई पुत्री श्री बिहारीलाल पत्नी श्री रामनिवास शर्मा निवासी मकान नम्बर 18, पुराना जवाहर नगर, कोटा ।
3. कान्हा पुत्र मथुरालाल मृतक जरिये कायममुकाम :–

3/1. जमुना बाई विधवा कान्हा उर्फ कन्हैयालाल ब्राह्मण निवीस काछियों की बाबडी पुलिस लाईन बारां रोड, कोटा ।
3/2. अनिता विधवा सतीश शर्मा
3/3. नितिन शर्मा पुत्र सतीश शर्मा
3/4. राहुल शर्मा पुत्र सतीश शर्मा
3/5. सुशीला धर्मपत्नी गोविन्द गौतम निवासी हनुमान बस्ती गुर्जरों का मोहल्ला आर.ए.सी. ग्राउण्ड के पास, कोटा ।
3/6. चन्द्रकला पत्नी दिनेश गौतम निवासी सर्वोदय स्कूल के पास गौतम इलेक्ट्रिकल स्टोर खेडली फाटक, कोटा ।
3/7. बृजेश पत्नी नन्दन गौतम निवासी अफीम गोदाम के पास, रेतवाली कोटा ।
4. जाकिर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल शकूर अंसारी निवासी मस्जिद गली कोटा जंक्शन कोटा ।
5. हनीफ खान पुत्र श्री हजारी खान निवासी तिलक नगर, कन्या छात्रावास के पीछे छावनी, कोटा ।
6. जानकी लाल पुत्र प्रभूलाल गोस्वामी निवासी बोरखेडा कोटा ।
7. अब्दुल गफ्फार पुत्र सुभान खॉ निवासी रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. इरशाद खान पुत्र श्री बून्दू खॉ मुसलमान निवासी देरावाली गाडरवाल नूजर जी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
9. अजद खॉ पुत्र श्री बून्दू खॉ मुसलमान निवासी देरावाली गाडरवाल नूजर जी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2019/184

1. रामनाथ पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
2. रामनारायण पुत्र श्री धन्नालाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा ।
3. नन्दलाल पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा ।
4. नर्बदा बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी ओम प्रकाश गौतम निवासी ई– 264, आर.के. पुरम, कोटा ।
5. गीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी श्री जितेन्द्र गौतम निवासी रामा हलवाई की ब्रह्मपुरी बून्दी ।
6. सीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी हरिमोहन शर्मा निवासी गुजराती मौहल्ला कशोपुरा, कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गजानन्द पुत्र श्री मथुरा लाल ब्राह्मण मृतक जरिये कायममुकाम –
   1/1. श्रीमती रामभरोस पुत्री गजानन्द पत्नी श्री सतेन्द्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 04 मोती नगर विस्तार थेकडा रोड, बोरखेडा कोटा ।
   1/2. श्रीमती मूर्ति पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री सतीश गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1070, श्रीनाथपुरम् –बी, कोटा ।
   1/3. श्रीमती संतोष पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री अन्नू गौतम जाति ब्राह्मण निवासी सरस डेयरी के सामने पहली गली, शिवपुरा ।
   1/4. शशि पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री योगेन्द्र गौतम (मृतक) जरिये का0मु0 –
   1/4/1. जितेन्द्र पुत्र श्री योगेन्द्र गौतम
   1/4/2. अरूणा पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम
   1/4/3. रानू पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम निवासीगण मकान नम्बर – 71 महावीर नगर थाने के पास, रंग बिहार कोटा ।
   1/5. आनन्द गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।
   1/6. अशोक कुमार गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।
2. श्रीमती चन्दा बाई पुत्री श्री बिहारीलाल पत्नी श्री रामनिवास शर्मा निवासी मकान नम्बर 18, पुराना जवाहर नगर, कोटा ।
3. कान्हा पुत्र मथुरालाल मृतक जरिये कायममुकाम :–
   3/1. जमुना बाई विधवा कान्हा उर्फ कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बाबडी पुलिस लाईन बारां रोड, कोटा ।
   3/2. अनिता विधवा सतीश शर्मा
   3/3. नितिन शर्मा पुत्र सतीश शर्मा
   3/4. राहुल शर्मा पुत्र सतीश शर्मा
   3/5. सुशीला धर्मपत्नी गोविन्द गौतम निवासी हनुमान बस्ती गुर्जरों का मोहल्ला आर.ए.सी. ग्राउण्ड के पास, कोटा ।
   3/6. चन्द्रकला पत्नी दिनेश गौतम निवासी सर्वोदय स्कूल के पास गौतम इलेक्ट्रिकल स्टोर खेडली फाटक, कोटा ।
   3/7. बृजेश पत्नी नन्दन गौतम निवासी अफीम गोदाम के पास, रेतवाली कोटा
4. गिरधारी पुत्र स्व0 टूण्डा माली मृतक जरिये कायममुकाम :–
   4/1. सत्यनारायण पुत्र स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   4/2. रतन लाल पुत्र स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   4/3. श्रीमती कान्ति बाई पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल पुत्री स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   4/4. राजकुमार आत्मज स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   4/5. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल पत्नी श्री सूर्यप्रकाश जाति माली निवासी सरकारी गोदाम के सामने ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/6. सुश्री सीमा पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी हनुमान मंदिर के पीछे ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/7. सुश्री अनिता पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/8. सुश्री बेवी पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती कान्ति बाई पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 2019/183 में रेस्पोडेन्ट कम 1/5, 6 व 7 की ओर से एवं अपील संख्या 2019/184 में 1/5 की ओर से ।
3. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपील संख्या 2019/183 में रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 3/5 की ओर से ।
4. श्री विजय सिंघल, रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से अपील संख्या 2019/183 में

निर्णय **दिनांकः 27.12.2022**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण स्वर्गीय बिहारी लाल एवं अन्य ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के सम्मिलित खाते की आराजी खसरा नम्बर 49 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा में स्थित है। उक्त आराजी के वादीगण एवं प्रतिवदी कम 01 शामलाती खातेदार काश्तकार दर्ज हैं । वादग्रस्त आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है । उक्त आराजी में वादीगण प्रत्येक का तथा प्रतिवादी कम 01 हिस्सा बांट बराबर से 1/5 –1/5 हिस्सा है । प्रतिवादी कम 01 ने जबरन समस्त आराजी पर कब्जा कर लिया ताकि वादीगण को काश्त नहीं करने दे

रहा है जिसका प्रतिवादी क्रम 01 को अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादी क्रम 02 का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है किन्तु प्रतिवादी क्रम 02 प्रतिवादी क्रम 01 के साथ मिला हुआ है तथा दोनों ही ताकत के बल पर प्रतिवादीगण की आराजियात पर कब्जा करने की कोशिश में है ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक हिस्सा किया जावे तथा आने वाले हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 को उनके 1/5, 1/5 हिस्से पर कब्जा पृथक से दर्ज किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2006 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.01.2006 से व्यथित होकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में रामनाथ एवं कान्हा उर्फ कन्हैया लाल द्वारा अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 07.03.2008 के द्वारा दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2006 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2008 से व्यथित होकर रामनाथ पुत्र धन्ना लाल द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील अजमेर ने अपने निर्णय 09.09.2015 के द्वारा खारिज कर दिया ।

7. परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 07.04.2016 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर दिनांक 18.04.2016 को अंतिम डिक्री पारित की ।

8. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.04.2016 से व्यथित होकर वादी क्रम 04 लगायत 6 एवं 8 लगायत 10 अपीलान्टगण रामनाथ वगै0 ने न्यायालय हाजा में दोनों अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 06 के निर्णय में अपीलान्टगण के पिता धन्ना लाल को चुन्दा के 43 वर्ष पूर्व दिनांक 04.08.1942 को पंजीकृत गोदनामे से गोद जाना मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय को गोद की तनकी निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसी प्रकार पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 04.08.1942 जो शहादत में प्रदर्श ही नहीं हुआ वैध दत्तक नामा नहीं है । इस दस्तावेज में न तो गोद किसने दिया का दर्शन है न ही गोद जाने वाले के नैसर्गिक माता–पिता का दर्शन है न ही उनकी सहमति है न ही गोद के लेने के लिये अति आवश्यक सिडिंग टेकिंग सेरेमनी है । ऐसा

दस्तावेज गोदनामा नहीं माना जा सकता तथा हिन्दू कानून के अनुसार गोद नहीं लिया है । मथुरा लाल जी का सन् 1938 में स्वर्गवास हो गया तथा विवादित भूमि नामान्तरकरण नम्बर 390 दिनांक 04.02.1939 से अपीलान्ट धन्नालाल व अन्य चार भाईयों में वेस्ट हो जाने के बाद गोद जाने से जो अधिकार प्राप्त हो गये हैं वो डाईवेस्ट नहीं हो सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 07.04.2016 एवं अंतमि डिक्री 18.04.2016 निरस्त किये जावें ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 06 के निर्णय में अपीलान्टगण के पिता धन्ना लाल को चून्दा के 43 वर्ष पूर्व दिनांक 04.08.1942 को पंजीकृत गोदनामे से गोद जाना मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय को गोद की तनकी निर्णित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसी प्रकार पंजीकृत दस्तावेज दिनाक 04.08.1942 जो शहादत में प्रदर्श ही नहीं हुआ वैध दत्तक नामा नहीं है । इस दस्तावेज में न तो गोद किसने दिया का वर्णन है न ही गोद जाने वाले के नैसर्गिक माता–पिता की सहमति है न ही गोद के लेने के लिये अति आवश्यक गिविग टेकिंग सेरेमनी है । ऐसा दस्तावेज गोदनामा नहीं माना जा सकता तथा हिन्दू कानून के अनुसार गोद नहीं लिया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन करते हुए कहा कि रजिस्टर्ड गोदनामा भी विधि अनुसार सही होना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में एआईआर 2009 (राज0) पेज 122 तथा एआईआर 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 1428 प्रस्तुत किये। धन्ना लाल के पिता मथुरालाल जिनका स्वर्गवास सन् 1938 में होने पर नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 04.02.1939 से अपीलान्ट के पिता धन्नालाल व शेष चारों पुत्रों के नाम विवादग्रस्त भूमि दर्ज की गई जो आज तक बदस्तूर खातेदारी में दर्ज है । चारों पुत्रों ने (रेस्पोडेन्ट कम 01 को छोडकर) वाद प्रस्तुत कर पॉचों पुत्रों का 1/5–1/5 हिस्सा स्वीकार कर विभाजन का वाद प्रस्तुत किया परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 01 ने धन्नालाल को चून्या जी के गोद जाना वर्णित करने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को गोद के सम्बन्ध में तनकी नम्बर 06 कायम कर तनकी का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में गोद के सम्बन्ध में केवल मात्र दीवानी न्यायालय को ही सुनने का अधिकार है। अपीलान्ट धन्नालाल व अन्य चार भाईयों में भूमि वेस्ट हो जाने के बाद गोद जाने से जो अधिकार प्राप्त हो गये हैं वो पुनः वापस डाईवेस्ट नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में इन्होंने मुख्यतः न्यायिक दृष्टांत 1998 आराअरडी पेज 400 (हाईकोर्ट) पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय 07.03.2008 में पारित रिमाण्ड निर्देशों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । संशोधन के अनुसार तनकीयात कायम नहीं की गई हैं । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 मूल वाद में वादी थे तथा आपस में भिन्न–भिन्न कथन नहीं कर सकते । मूल वाद में मथुरालाल जी के पॉच पुत्रों में से चार पुत्रों ने स्वर्गीय मथुरा लाल के पुत्र बनकर तथा विवादित भूमि में सभी का 1/5–1/5 हिस्सा होना वर्णित कर विभाजन का वाद किया था जिसमें चारों वादी में से एक या दो वादी रहते हुए भिन्न सहायता की मांग नहीं कर सकत थे । यदि पूर्व में मांगी

गई सहायता से भिन्न सहायता चाहता है तो उसे प्रतिवादी के रूप में ट्रासंपोजिट करना होगा । आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत किये गये संशोधन को उचित नहीं होने का कथन किया तथा आदेश 06 नियम 17 के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी नहीं हैं । केवल कन्हैया लाल के हस्ताक्षर हैं । अतः यह विधिक त्रुटि रही । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण को दिनांक 07.03.2008 को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था, जिन निर्देशों के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था उन निर्देशों की पालना नहीं की गई । निर्णय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी पक्षकारान के सम्बन्ध में निष्कर्ष नहीं दिया गया । मथुरा लाल की मृत्यु के पश्चात् पॉचों पुत्रों के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ । हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेन्टेनैंस एक्ट, 1956 के अनुसार भी एक बार अधिकार निहित (vest) हो गये तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, हांलाकि उक्त प्रकरण सन् 1956 से पूर्व का है । जिस गोदनामे के आधार पर निर्णय किया गया है वह विधिक रूप से गोदनामा नहीं है । प्रावधानों के अनुसार कोई गोद देने व लेने का समारोह (Cermonry) नहीं हुआ तथा न ही कोई सहमति प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है जबकि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 में वादी कम 01 का 1/5, वादी कम 03 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 01 का 3/5 हिस्सा निर्णित किया था, जबकि निर्णय व डिक्री में स्पष्ट नहीं है कि रेस्पोडेन्ट कम 4 से 9 में हिस्से किस प्रकार किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन नियमों के विपरीत राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 400, एआईआर 2002 पेज 122, एआईआर 2002 पेज 1428, एआईआर 1987 पेज 259 उद्धृत की ।

11. अपील संख्या 2019/183 में रेस्पोडेन्ट कम 1/5, 6 व 7 एवं अपील संख्या 2019/184 में रेस्पोडेन्ट कम 1/5 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी कम 01 के पिता मथुरा लाल जी के बिहारीलाल, किशोरीलाल, धन्ना लाल, कन्हैयालाल व प्रतिवादी कम 01 गजानन्द कुल 05 पुत्र हुए जिनमें से बिहारी लाल जी की मृत्यु 08.07.1984 को हो गई थी । किशोरीलाल जी के कोई पुत्र नहीं था । किशोरीलाल लगभग 50 वर्ष पूर्व अपने ससुराल पाना जी के गोद चला गया तभी से वह अपने ससुर निवास कर रहा है और उनके ससुर की मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का गोदपुत्र की हैसियत से उपयोग व उपभोग कर रहा है । इसी प्रकार धन्ना लाल वर्षों पूर्व श्री चून्या आत्मज नाथू के गोद चला गया था तथा उक्त गोदनामे को उपपंजीयक कोटा के यहॉ दिनांक 04.08.1942 को रजिस्ट्री करवा ली थी । चून्या के मरने के बाद उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति धन्ना लाल को गोदपुत्र की हैसियत से प्राप्त हुई । धन्ना लाल के अन्य जगह गोद चले जाने की वजह से वादग्रस्त आराजी में उनका हिस्सा समाप्त हो गया और उन्हें वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी में उनके अब स्वतः ही खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों में विरोधाभाष है । एक तरफ इनका कथन है कि गोद गये ही नहीं तथा दूसरी ओर यह कथन है कि धन्ना गोद चला भी गया तो भी भूमि में उनका हिस्सा रहेगा । ये स्पष्ट करें कि गोदनामा मानते हैं या नहीं ? प्रदर्श– ए–2 एवं प्रदर्श– ए–1 धन्ना लाल के लडके नन्दलाल का बयान, जो स्वयं अपीलान्ट है, उसकी

स्वयं की स्वीकारोक्ति है । स्वयं इन्होंने ही गोदनामे का दस्तावेज पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है । हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेंटेनैंस एक्ट, 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में धारा 12 प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों पर प्रभावी नहीं है, क्योंकि यह सन् 1956 का है तथा प्रकरण में तथ्य व घटनाक्रम पूर्व का है । प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रभाव में आने से पहले का घटनाक्रम है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व तर्क हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेन्टेनैंस एक्ट, 1956 के संदर्भ में है तथा विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में निष्कर्ष हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेंटेनैंस एक्ट, 1956 के प्रकाश के लिए गए हैं । इनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व विधिक विवेचना प्रस्तुत प्रकरण में एवं घटनाक्रम अलग होने से इस पर चस्पा नहीं होते । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 से स्पष्ट है कि 30 साल पुराने दस्तावेज पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता तथा वह साक्ष्य में स्पष्ट रूप से ग्रहणीय है तथा विश्वसनीय है । कन्हैयालाल का बयान है कि धन्ना लाला चून्या के गोद चले गया । प्रदर्श–ए–2 से स्पष्ट है कि धन्ना लाल ने चून्या की सम्पत्ति को बेचान किया । प्रदर्श–ए–1 जो 1951 का इंतकाल है इस सरकारी दस्तावेज पर जो 30 वर्ष पुराना भी है कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । धन्ना लाल के लड़का नन्दलाल स्वयं का जिरह में बयान है कि जिसमें उसने गोदनामे को स्वीकार किया है । यह बयान सन् 2016 का है जो पत्रावली प्रतिप्रेषित करने के बाद का है तथा नवीनतम है । न्यायिक दृष्टांत 2002 (एससी) 1428 प्रकरण पर चस्पा नहीं होता । गोदनामे का दस्तावेज स्वयं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है इनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1998 आरआरडी पेज 400 के प्रकरण व परिस्थिति अलग हैं । यहाँ केवल एक उत्तराधिकार का प्रकरण नहीं है । यह सहदायकी का प्रकरण है । सहदायकी प्रकरण में सभी सम्मिलित होते हैं कोई एकल मालिक नहीं होता । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो भी न्यायिक दृष्टांत तथा कानून की व्याख्या की है यह हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेंटेनैंस एक्ट, 1956 के नवीन कानून के तहत करने का प्रयास किया है । यह नवीन कानून पुरानी स्थिति पर लागू नहीं होता है । इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1916 प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि पुराने हिन्दू कानून के अनुसार गोद जाने के पश्चात् पुराने प्राकृतिक परिवार का सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई अधिकार शेष नहीं बचता । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क तब तक माना जा सकता है जब मथुरा के केवल एक (Exclusive) वारिस धन्ना लाल होता परन्तु यह संयुक्त कोपार्सनर सम्पत्ति है । जहाँ तक विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा वाद में प्रतिवादी नहीं बनाने का कथन किया है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि बंटवारे के वाद में वादी ही प्रतिवादी होता है और प्रतिवादी भी वादी की भूमिका में होता है । चूँकि अपीलान्ट का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार निहित नहीं है तथा दिनांक 07.04.2016 में सभी पक्षों के हक अधिकार निर्णित कर दिये गये हैं । दिनांक 07.04.2016 को पारित निर्णय में हक अधिकार निर्णित करने के पश्चात् प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा अपीलान्ट का इसमें कोई हक अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अंतिम डिक्री पर भी कोई प्रश्न उठाने का कोई हक अधिकार नहीं है । अंतिम डिक्री जिन पक्षकारों के मध्य हुई है उसमें से किसी एक ने भी आपत्ति नहीं की है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांतों का उद्धरण करते हुए कि वाद में पक्षकार के जो हक अधिकार सुनिश्चित किये जाते हैं, उन्हें बाद के पक्षकारों को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये गये निर्णय को मानना होता है । अतः अंतिम डिक्री की अपील करने का अपीलान्ट को हक अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.04.2016 बहाल रखे जावें । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1916 (बोम्बे) पेज 210, 2014 (1) सीसीसी पेज 721, 2014 (2) सीसीसी पेज 461, 2002 (5) एससीसी पेज 647, 2001 (6) एससीसी पेज 534 उद्धृत की ।

12. अपील संख्या 2019/183 में रेस्पोडेन्ट कम 2 से 3/5 के विद्वान् अभिभाषक श्री भारत सिंह अडसेला ने रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री संजय शर्मा द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए दोनों अपील अपीलान्ट खारिज करने का कथन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए बहाल रखने का कथन किया ।

13. रिबटल में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया कि उन्होंने न्यायालय में सभी बातों को प्लीड किया है । मेरे कथनों में विरोधाभास नहीं है, अपितु अपने हक अधिकार के सम्बन्ध में मैने कथन किया है कि यदि गोदनामा माना भी जाता है तो तो भी अपीलान्ट का किसी भूमि में हक व अधिकार समाप्त नहीं होते । चूँकि मैं वाद में पक्षकार था अतः मुझे अंतिम डिक्री को चैलेंज करने का अधिकार है ।

14. हमने दोनों पत्रावलियों का आधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदर्श–1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बोरखेडा की आराजी खसरा नम्बर 49 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि बिहारी लाल, धन्ना, किशोर व कान्हा– गजानन्द पिता मथुरा लाल सा0 काछियों की बावडी हिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है ।

15. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 651 दिनांक 20.04.1951 प्रदर्श– ए–1 संलग्न है जिसके अनुसार चून्या की मृत्यु हो जाने पर उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 04.08.1942 को धन्ना लाल को मुतबन्ना बनाये जाने से उनकी समस्त भूमि धन्ना लाल के खातेदारी में दर्ज की गई । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1973 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–2 पेश किये ।

16. वादी की ओर ये बयान किशोरीलाल पीडब्ल्यू–1 जो कि पूर्व का है तथा पीडब्ल्यू–1 कन्हैया लाल सन् 2016 के बाद में कराये गये हैं ।

17. प्रतिवादी की ओर से बयान रामनाथ डीडब्ल्यू–1, गणपत लाल डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

18. वादीगण स्वर्गीय बिहारी लाल एवं अन्य ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के सम्मिलित खाते की आराजी खसरा नम्बर 49 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा

वाके ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा में स्थित है। उक्त आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 शामलाती खातेदार काश्तकार दर्ज है । वादग्रस्त आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है । उक्त आराजी में वादीगण प्रत्येक का तथा प्रतिवादी कम 01 हिस्सा बांट बराबर से 1/5 –1/5 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2005 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.01.2005 से व्यथित होकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में रामनाथ एवं कान्हा उर्फ कन्हैया लाल द्वारा अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 07.03.2008 के द्वारा दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2005 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2008 से व्यथित होकर रामनाथ पुत्र धन्ना लाल द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय 09.09.2015 के द्वारा खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 07.04.2016 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । प्रारम्भिक डिक्री एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18.04.2016 को अंतिम डिक्री पारित की ।

19. प्रकरण में सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 पर विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जाना उचित होगा । प्रकरण में 10 तनकियॉ विरचित की गई हैं और तनकीवार विवेचन के आधार पर निर्णय पारित कर अनुतोष पारित किया गया है । सर्वप्रथम हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत वाद में जो संशोधन किया गया है वह उचित नहीं है । आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत जो संशोधन किया गया है उन पर तत्समय ही अपीलान्ट को आपत्ति दर्ज करवा कर निर्णित करवाना चाहिए था या अन्य न्यायिक उपचार प्राप्त कर सकते थे । अपील में वर्तमान स्तर पर आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के सम्बन्ध में कोई नवीन प्रश्न पर गौर करने का कोई औचित्य नहीं है । जहॉ तक श्रवणाधिकार का प्रश्न है हमारे विनम्र मत में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को श्रवणाधिकार है । प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही अनुतोष मांगा गया । अपीलान्ट द्वारा मुख्यतः तनकी नम्बर 01 और तनकी नम्बर 06 एवं 09 पर अपील एवं बहस में आपत्ति की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी नम्बर 06 में यह माना है कि धन्ना लाल, चून्या जी के गोद चले गया था । इंतकाल प्रदर्श–ए–1 दिनाक 20.04.1951 तथा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 04.08.1942 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि धन्ना लाल चून्या जी के गोद चला गया था । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के प्रकाश में उक्त दस्तावेजों को देखना चाहिए । सन् 1942 के पंजीकृत दस्तावेज तथा सन् 1951 एवं 1973 के राजकीय दस्तावेज पर संदेह करने का कोई समुचित आधार नहीं है । धन्ना लाल का पुत्र नन्दलाल जो स्वयं वादी कम 06 है तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट संख्या 03 है उसने स्वयं स्वीकार किया है कि, "यह बात सही है कि दस्तावेत प्रदर्श–ए 1 और ए–2 में धन्ना लाल जी के चूनिया जी के गोद जाने का उल्लेख

है, अतः मैं मानता हूँ कि धन्ना लाल जी चूनिया जी के गोद गये थे ।" ऊपर उल्लेखित
दस्तावेजों और स्वयं अपीलान्ट संख्या 03 की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि धन्ना लाल
चून्या के गोद चला गया था । प्रदर्श-ए-2 में भी धन्ना को गोदपुत्र कहा गया है ।
लगभग 80 वर्ष पुराने गोद के तथ्य को अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क के आधार पर
अवैध नहीं माना जा सकता कि कोई गोद देने व लेने का संस्कार (Cermonry) नहीं
हुआ, तथा सहमति अंकित नहीं है । कन्हैया लाल ने भी उक्त गोदनामे को माना है ।
अतः हमारे विनम्र मत में धन्ना के चून्या के गोद जाने का स्पष्ट प्रमाण है तथा धन्ना चून्या
जी के गोदपुत्र साबित होते हैं । प्रकरण में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि
यदि गोदनामा माना भी जावे तो भी चूँकि सम्पत्ति में धन्ना का हक निहित हो गया था
तथा इसे वापस नहीं लिया जा सकता । जहाँ तक विवादित भूमि के सम्बन्ध में कब्जे का
प्रश्न है स्वयं नन्दलाल ने जिरह में कथन किया है कि, "अतः मैं मानता हूँ कि धन्ना लाल
जी चून्या के गोद गया था। मेरा, मेरे भाई बहिनों का, एवं मेरा पिता धन्ना लाल जी की
विवादित भूमि में किसी भी हिस्से पर कभी भी कब्जा नहीं था, न आज है ।" स्वयं
अपीलान्ट संख्या 03 की स्वीकारोक्ति साक्ष्यों को सम्पुष्ट करती है तथा हमारे विनम्र मत में
अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य व परिस्थिति भिन्न होने से प्रस्तुत प्रकरण
पर चस्पा नहीं होते । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अधिनियम,
1956 के प्रकाश में विवेचित किये गये हैं, हालांकि उनका कथन है कि ये घटनाक्रम 1956
के पूर्व का हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की बहस में प्रमुख रूप से उद्धृत न्यायिक
दृष्टांत आरआरडी 1998 पेज 400 का प्रारम्भ इस प्रकार है– "Hindu Adoption &
maintenance act, 1956 Sec. 12 (b) – इसके आगे सम्पूर्ण अभिमत अंकित किया गया
है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई कानून प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे
यह सिद्ध हो कि हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 लागू होने से पूर्व सहदायकी
सम्पत्ति में प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में धन्ना लाल का हिस्सा कायम रहेगा । विद्वान्
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1916 (बोम्बे) पेज 210 हमारे
समक्ष पुरानी हिन्दू विधि पर कुछ प्रकाश डालता है, जिसमें पुराने समय में हिन्दू
रीति–रिवाजों की व्याख्या की गई है । हमारे समक्ष सन् 1916 के न्यायिक दृष्टांत में
अभिमत अंकित है कि, "Hindu Law - Adoption - property of natural father
vesting before adoption- Adoption divests son of such right. An adoption
under the Mitakshara has the effete of divesting the adopted son of all right
to the property of his natural father, even where the property had become
exelusively vested in him before the adoption" अतः इस पुराने न्यायिक दृष्टांत
के प्रकाश में हमारे विनम्र मत में धन्ना के गोद जाने के बाद विवादित सम्पत्ति में कोई
हक अधिकार शेष नहीं रहता है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से
सहमत नहीं हैं कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अधीनस्थ न्यायालय
ने पालन नहीं किया । तनकी संख्या 4 में बिहारी लाल व तनकी संख्या 05 में किशोरी
लाल के संदर्भ में भी अपना अभिमत दिया है । वादी कम 1/1 चन्दाबाई, वादी कम 03
कन्हैयालाल व प्रतिवादी कम 01 गजानन्द द्वारा प्रस्तुत राजीनामा जिसे अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा दिनांक 04.12.2014 को तस्दीक किया गया, इस राजीनामे व हिस्सों को तनकी
संख्या 09 में विवेचित कर निष्कर्ष पारित किया गया है । उक्त राजीनामा को अधीनस्थ
न्यायालय ने स्वीकार किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 01 व 06
सहित सभी 10 तनकियों में जो विवेचन व विश्लेषण किया गया है उससे हम सहमत हैं
तथा इन्हें यहाँ पुनः दोहराना आवश्यक नहीं है ।

20. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.04.2016 द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई है । अंतिम डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि, "वादी कम 01 तथा वादी कम 03 तथा प्रतिवादी कम 01 गजानन्द द्वारा अपनी–अपनी 1/5–1/5 हिस्सा आराजी जाकिर हुसैन, हनीफ खान, जानकी लाल, अब्दुल गफ्फार, ईरशाद खान, अशद खान, शेहबाज खान पुत्र बुन्दू खान को बेचान की जा चुकी है ।" तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई । चूँकि प्रारम्भिक डिक्री में अपीलान्ट का कोई हिस्सा विवादित भूमि में तय नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अंतिम डिक्री में भी कोई अनुतोष देय नहीं है । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अंतिम डिक्री पर आपत्ति उचित नहीं है । अपील में भी जिनको भूमि विक्रय की गई है उनको भी पक्षकार बनाया गया है परन्तु क्रेताओं द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में न ही न्यायालय हाजा में कोई आपत्ति अंतिम डिक्री को लेकर की है । इस सम्बन्ध में आदेश 22 नियम 10 सीपीसी का हवाला देते हुए विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2001 (6) एससीसी पेज 534 महत्वपूर्ण है । उक्त न्यायिक दृष्टांतों से स्पष्ट है कि बाद के क्रेता पक्षकारों के मध्य हुई डिक्री से बाउण्ड होंगे । जिनके द्वारा भूमि क्रय की गई है उनमें से किसी ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है । चूँकि अंतिम डिक्री के बंटवारे के सम्बन्ध में किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है । अतः हमारे विनम्र मत सन् 1984 से लम्बित वाद को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं है । ऐसी अवस्था में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई अंतिम डिक्री को अमान्य करना उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध की गई अपील को खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2019/ 183 एवं 2019/184 खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.04.2016 बहाल रखे जाते हैं ।

22. निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/183

1. रामनाथ पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
2. रामनारायण पुत्र श्री धन्नालाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
3. नन्दलाल पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
4. नर्बदा बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी ओम प्रकाश गौतम निवासी ई– 264, आर.के. पुरम, कोटा ।
5. गीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी श्री जितेन्द्र गौतम निवासी रामा हलवाई की ब्रह्मपुरी बून्दी
6. सीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी हरिमोहन शर्मा निवासी गुजराती मौहल्ला कशोपुरा, कोटा

––अपीलान्ट

बनाम

1. गजानन्द पुत्र श्री मथुरा लाल ब्राह्मण मृतक जरिये कायममुकाम –
   - 1/1. श्रीमती रामभरोस पुत्री गजानन्द पत्नी श्री सतेन्द्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 04 मोती नगर विस्तार थेकडा रोड, बोरखेडा कोटा ।
   - 1/2. श्रीमती मूर्ति पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री सतीश गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1070, श्रीनाथपुरम् –बी, कोटा ।
   - 1/3. श्रीमती संतोष पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री अन्नू गौतम जाति ब्राह्मण निवासी सरस डेयरी के सामने पहली गली, शिवपुरा ।
   - 1/4. शशि पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री योगेन्द्र गौतम (मृतक) जरिये का0मु0 –
   - 1/4/1. जितेन्द्र पुत्र श्री योगेन्द्र गौतम
   - 1/4/2. अरूणा पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम
   - 1/4/3. रानू पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम निवासीगण मकान नम्बर – 71 महावीर नगर थाने के पास, रंग बिहार कोटा ।
   - 1/5. आनन्द गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।
   - 1/6. अशोक कुमार गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।
2. श्रीमती चन्दा बाई पुत्री श्री बिहारीलाल पत्नी श्री रामनिवास शर्मा निवासी मकान नम्बर 18, पुराना जवाहर नगर, कोटा ।
3. कान्हा पुत्र मथुरालाल मृतक जरिये कायममुकाम :–

3/1. जमुना बाई विधवा कान्हा उर्फ कन्हैयालाल ब्राह्मण निवीस काछियों की बाबडी पुलिस लाईन बारां रोड, कोटा ।
3/2. अनिता विधवा सतीश शर्मा
3/3. नितिन शर्मा पुत्र सतीश शर्मा
3/4. राहुल शर्मा पुत्र सतीश शर्मा
3/5. सुशीला धर्मपत्नी गोविन्द गौतम निवासी हनुमान बस्ती गुर्जरों का मोहल्ला आर.ए.सी. ग्राउण्ड के पास, कोटा ।
3/6. चन्द्रकला पत्नी दिनेश गौतम निवासी सर्वोदय स्कूल के पास गौतम इलेक्ट्रिकल स्टोर खेडली फाटक, कोटा ।
3/7. बृजेश पत्नी नन्दन गौतम निवासी अफीम गोदाम के पास, रेतवाली कोटा ।
4. जाकिर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल शकूर अंसारी निवासी मस्जिद गली कोटा जंक्शन कोटा
5. हनीफ खान पुत्र श्री हजारी खान निवासी तिलक नगर, कन्या छात्रावास के पीछे छावनी, कोटा ।
6. जानकी लाल पुत्र प्रभूलाल गोस्वामी निवासी बोरखेडा कोटा ।
7. अब्दुल गफ्फार पुत्र सुभान खॉ निवासी रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. इरशाद खान पुत्र श्री बून्दू खॉ मुसलमान निवासी देरावाली गाडरवाल नूजर जी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
9. अजद खॉ पुत्र श्री बून्दू खॉ मुसलमान निवासी देरावाली गाडरवाल नूजर जी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2019/184

1. रामनाथ पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
2. रामनारायण पुत्र श्री धन्नालाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
3. नन्दलाल पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
4. नर्बदा बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी ओम प्रकाश गौतम निवासी ई– 264, आर.के. पुरम, कोटा ।
5. गीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी श्री जितेन्द्र गौतम निवासी रामा हलवाई की ब्रह्मपुरी बून्दी
6. सीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी हरिमोहन शर्मा निवासी गुजराती मौहल्ला कशोपुरा, कोटा

——अपीलान्ट

बनाम

1. गजानन्द पुत्र श्री मथुरा लाल ब्राह्मण मृतक जरिये कायममुकाम –
   1/1. श्रीमती रामभरोस पुत्री गजानन्द पत्नी श्री सतेन्द्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 04 मोती नगर विस्तार थेकडा रोड, बोरखेडा कोटा ।

1/2. श्रीमती मूर्ति पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री सतीश गौतम जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1070, श्रीनाथपुरम् –बी, कोटा ।

1/3. श्रीमती संतोष पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री अन्नू गौतम जाति ब्राह्मण निवासी सरस डेयरी के सामने पहली गली, शिवपुरा ।

1/4. शशि पुत्री गजानन्द पत्नी स्व0 श्री योगेन्द्र गौतम (मृतक) जरिये का0मु0 –

1/4/1. जितेन्द्र पुत्र श्री योगेन्द्र गौतम

1/4/2. अरूणा पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम

1/4/3. रानू पुत्री श्री योगेन्द्र गौतम निवासीगण मकान नम्बर – 71 महावीर नगर थाने के पास, रंग बिहार कोटा ।

1/5. आनन्द गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।

1/6. अशोक कुमार गौतम पुत्र स्व0 श्री गजान्द जाति ब्राह्मण निवासी श्री गैर एजेन्सी के पास, गोपाल बिहार कोटा ।

2. श्रीमती चन्दा बाई पुत्री श्री बिहारीलाल पत्नी श्री रामनिवास शर्मा निवासी मकान नम्बर 18, पुराना जवाहर नगर, कोटा ।

3. कान्हा पुत्र मथुरालाल मृतक जरिये कायममुकाम :–

3/1. जमुना बाई विधवा कान्हा उर्फ कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बाबडी पुलिस लाईन बारां रोड, कोटा ।

3/2. अनिता विधवा सतीश शर्मा

3/3. नितिन शर्मा पुत्र सतीश शर्मा

3/4. राहुल शर्मा पुत्र सतीश शर्मा

3/5. सुशीला धर्मपत्नी गोविन्द गौतम निवासी हनुमान बस्ती गुर्जरों का मोहल्ला आर.ए.सी. ग्राउण्ड के पास, कोटा ।

3/6. चन्द्रकला पत्नी दिनेश गौतम निवासी सर्वोदय स्कूल के पास गौतम इलेक्ट्रिकल स्टोर खेडली फाटक, कोटा ।

3/7. बृजेश पत्नी नन्दन गौतम निवासी अफीम गोदाम के पास, रेतवाली कोटा

4. गिरधारी पुत्र स्व0 टूण्डा माली मृतक जरिये कायममुकाम :–

4/1. सत्यनारायण पुत्र स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/2. रतन लाल पुत्र स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/3. श्रीमती कान्ति बाई पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल पुत्री स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/4. राजकुमार आत्मज स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/5. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल पत्नी श्री सूर्यप्रकाश जाति माली निवासी सरकारी गोदाम के सामने ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/6. सुश्री सीमा पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी हनुमान मंदिर के पीछे ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/7. सुश्री अनिता पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4/8. सुश्री बेवी पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती कान्ति बाई पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.04.2016 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा।

वाद संख्याः 22/09(दावा)

1. स्वर्गीय बिहारीलाल आत्मज श्री मथूरालाल जी, जाति ब्राहमण निवासी काछीयों की बावडी कोटा तहसील लाडपूरा जिला कोटा ज़रिये कायम मुकाम।
   1/1. श्रीमति चन्दाबाई पुत्री श्री बिहारीलाल जी पत्नि श्री रामनिवास जी शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी जे–18 जवाहर नगर तलवण्डी कोटा ।
2. स्वर्गीय किशोर जी उर्फ किशोरीलाल जी आत्मज श्री मथुरालाल जी, जाति ब्राहमण निवासी काका भतीजे के मंदिर के पास मोखापाडा कोटा।
   2/1. श्रीमति कजोडबाई पत्नि श्री किशोरीलाल जी, जाति ब्राहमण निवासी काका भतीजे के मंदिर के पास मोखापाडा कोटा।
3. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जी आत्मज स्वर्गीय श्री मथुरालाल जी जाति ब्राहमण निवासी काछीयों की बावडी नयागांव पुलिस लाईन बारां रोड, कोटा।
4. रामनाथ पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा
5. रामनारायण पुत्र श्री धन्नालाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा ।
6. नन्दलाल पुत्र श्री धन्ना लाल ब्राह्मण निवासी काछियों की बावडी पुलिस लाईन कोटा ।
7. नर्बदा बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी ओम प्रकाश गौतम निवासी ई– 264, आर.के. पुरम, कोटा ।
8. गीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी श्री जितेन्द्र गौतम निवासी रामा हलवाई की ब्रह्मपुरी बून्दी ।
9. सीता पुत्री धन्ना लाल पत्नी हरिमोहन शर्मा निवासी गुजराती मौहल्ला कशोपुरा, कोटा ।

——वादी

बनाम

1. गजानन्द आत्मज मथुरालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी काछीयों की बावडी कोटा तहसील लाडपूरा जिला कोटा – ।
2. गिरधारी पुत्र स्व0 टूण्डा माली मृतक जरिये कायममुकाम :–

2/1. सत्यनारायण पुत्र स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2/2. रतन लाल पुत्र स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2/3. श्रीमती कान्ति बाई पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल पुत्री स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2/4. राजकुमार आत्मज स्वर्गीय गिरधारी जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2/5. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल पत्नी श्री सूर्यप्रकाश जाति माली निवासी सरकारी गोदाम के सामने ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2/6. सुश्री सीमा पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी हनुमान मंदिर के पीछे ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2/7. सुश्री अनिता पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2/8. सुश्री बेवी पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती कान्ति बाई पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी मण्डीपाडा ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.04.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.04.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

दोनों अपीलें तारीख 27.12.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री नादीश नन्दवाना, दोनों अपीलों 2019/183 व 2019/184 में अपीलान्ट की ओर से एवं श्री संजय ..., अभिभाषक, अपील संख्या 2019/183 में रेस्पोडेन्ट कम 1/5, 6 व 7 की ओर से एवं अपील संख्या 2019/184 में 1/5 की ओर से एवं श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपील संख्या 2019/183 में रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 3/5 की ओर से एवं श्री विजय सिंघल, रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से अपील संख्या 2019/183 में उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2019/ 183 एवं 2019/184 खारिज की जाती हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा